भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2641
दिनांक 05 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

पशुओं के प्रति क्रूरता

2641. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः

श्री गोविंद मकथप्पा कारजोलः

श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पशुओं की हत्या करने या उन्हें अपंग बनाने सहित उनके प्रति क्रूरता के विरुद्ध मौजूदा शास्तियां 10 रु से 50 रु तक हैं जो बहुत कम है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान देश में कर्नाटक सहित पशुओं के प्रति क्रूरता के दर्ज मामलों की वर्षवार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अधिनियम के अंतर्गत वास्तविक शास्तियों मामलों तथा दी गई सजा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने में मौजूदा शास्तियों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास अधिक सुदृढ़ प्रवर्तन और निवारण सुनिश्चित करने के लिए उक्त अधिनियम के शास्ति संबंधी उपबंधों को संशोधित और सुदृढ़ करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और समय-सीमा क्या है;

(च) देश में पशुओं के प्रति क्रूरता के मामलों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) कर्नाटक में पशुओं की मृत्यु की जांच करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और दोषियों को दंडित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या सरकार कर्नाटक में बाघों और अन्य जंगली जानवरों की मृत्यु से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी पशु के साथ क्रूरता करता है, उसे पहले अपराध के लिए कम से कम 10 रुपए का जुर्माना देना होगा, जिसे 50 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले अपराध के तीन वर्षों के भीतर किए गए

दूसरे या बाद के अपराधों के लिए, व्यक्ति को कम से कम 25 रुपए का जुर्माना देना होगा, जिसे 100 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या तीन महीने तक का कारावास हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

(ख) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण का विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III) के अंतर्गत आता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पशुओं के प्रति क्रूरता के कृत्यों के लिए दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं। यद्यपि प्रवर्तन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, तथापि भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) देश भर से प्राप्त शिकायतों को संबंधित राज्य सरकारों, जिला कलेक्टरों, मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को अग्रेषित करके मामलों का सक्रिय रूप से अनुसरण करता है। पिछले पाँच वर्षों में, एडब्ल्यूबीआई ने 4,589 शिकायतों का समाधान किया है और उन्हें आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्राधिकरणों को अग्रेषित किया है। शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का वर्ष-वार विवरण https://awbi.gov.in/Cruelty उपलब्ध है।

(ग) से (च) पशुओं के प्रति क्रूरता संबंधी शिकायतों का निपटारा मुख्य रूप से स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है, क्योंकि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का प्रवर्तन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आता है। एडब्ल्यूबीआई लगाई गई शास्तियों (पेनल्टी) और दिए गए दंड की प्रकृति के बारे में कोई आँकड़ा नहीं रखता है। राज्य सरकारों को भेजी गई 4,589 शिकायतों में से 306 मामलों में कृत कार्रवाई रिपोर्टें (ATR) प्राप्त हो चुकी हैं।

सरकार और एडब्ल्यूबीआई, शिक्षा, प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों और वित्तीय सहायता के जरिए पशु कल्याण को लगातार बढ़ावा दे रही है। पुलिसकर्मियों, गौशाला कर्मचारियों और मानद पशु कल्याण अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पहलें शुरू की गई हैं। जागरूकता अभियान, परामर्शिया जारी करना और राज्य सरकारों व गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोगात्मक प्रयास जारी हैं। एडब्ल्यूबीआई ने पशु कानूनों पर पुस्तिकाएँ प्रकाशित की हैं। यह कॉलोनी एनिमल केयरटेकर प्राधिकारों का समर्थन करता है और विभिन्न योजनाओं के तहत मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों और गौशालाओं को बचाव कार्यों, आश्रय गृह प्रबंधन, एम्बुलेंस, जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों और आपदा राहत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रति वर्ष 14 जनवरी से 13 फरवरी तक "पशुपालन और पशु कल्याण माह" मनाया जाता है।

(छ) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के साथ-साथ, भारतीय न्याय संहिता, 2023 में भी दंडात्मक प्रावधान निहित हैं। शिकायतों का निपटारा आमतौर पर संबंधित राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। हालाँकि, एडब्ल्यूबीआई इन शिकायतों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्राधिकरणों को अग्रेषित करता है। पिछले पाँच वर्षों में, एडब्ल्यूबीआई को कर्नाटक से 269 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 217 पशुओं की मृत्यु से संबंधित हैं।

(ज) एडब्ल्यूबीआई को कर्नाटक में बाघों और 20 बंदरों की मौत से संबंधित शिकायतें भी मिली हैं, जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उचित कार्रवाई हेतु राज्य वन विभाग को भेज दिया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

*****